पत्रांक : 02/स्था० (पें.) --08--39/2015 --

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

विश्वनाथ प्रसाद ताँती,
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

सेवा मे,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, राँची।

अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, राँची।

कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, राँची।

राँची, दिनांक :

विषय:--सहायक अभियंताओं का पेंशनादि स्वीकृत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहायक अभियंता एवं उनसे ऊपर के अभियंताओं के सेवा निवृत्ति पावनाओं यथा पेंशन उपादान एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाष के समतुल्य नगद राशि भुगतान की स्वीकृति विभागीय स्तर पर प्रदान की जाती है।

परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय सहायक अभियंताओं, कनीय अभियंता से प्रोन्नत अभियंता, का उक्त पावनाओं की औपबंधिक/पूर्ण रूप से स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ही अनियमित रूप से प्रदान की जा रही है। जिसके फलस्वरूप पेंशनादि की स्वीकृति में विलम्ब के साथ-साथ न्यायालीय मामला एवं अधिकाई व्यय की वसूली का मामला प्रकाश में आ रहा है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, को सुनिश्चित करते हुए विषयक पेंशनादि की स्वीकृति का प्रस्ताव ससमय विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/--
(विश्वनाथ प्रसाद ताँती)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-- 3878 /राँची, दिनांक :-- 28-07-16

प्रतिलिपि :--वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित्।

28.7.16

(विश्वनाथ प्रसाद ताँती)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

28/7/16

D:\Divya\UNDER Se-02\Draft\Pension Swikrity.doc